(ख) स्थानीय परम्पराओं के अनुसार मछलियों की उपलब्धता व प्रजातियों की विविधता को बनाये रखने के लिय ग्राम सभा मत्स्य आखेट पर नियंत्रण कर सकेगी।

(ग) ग्रामीणों के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा मत्स्य उपयोग एवं विक्रय हेतु प्राथमिकता निश्चित कर सकेगी ।

(4) **जल संसाधनों में प्रदूषण.-** ग्राम सभा शासकीय, समुदायिक अथवा निजी जल निकायों में किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु निर्देश जारी कर सकेगी।

अध्याय-छह
खान और खनिज

22. गौण खनिज.-

(क) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18 के अंतर्गत अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या उत्खन्नपट्टा आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व, ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18-क के अंतर्गत अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या उत्खनिपट्टा आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व, ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 41-क के अंतर्गत अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए, खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत रियायत आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व, ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 4 से 7 पर विनिर्दिष्ट खनिजों तथा अनुसूची-दो (अनुक्रमांक 01 को छोडकर) में विनिर्दिष्ट खनिजों का उत्खनिपट्टा स्वीकृति के संबंध में इस नियम के नियम 21 (2) में प्रावधानित संवर्गो के अधिमान अधिकार का उल्लंघन

संयुक्त संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

किये बिना तथा इस नियम की शर्तों के अधीन अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसाईटियों/सहयोजन, अनुसूचित जनजाति की महिला आवेदक, अनुसूचित जनजाति के पुरूष आवेदक को उनके संवर्ग में प्राथमिकता दी जाएगी।

(ङ) खनिज विभाग, ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत गौण खनिज के सभी उत्खनिपट्टा आवंटन एवं नीलामी की जानकारी प्रदान करेगा। खनिज विभाग ग्राम सभा द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने और अन्य विषयों से संबंधित समस्त शिकायतों का संज्ञान लेगा एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा को प्रदान करेगा।

अध्याय-सात
मादक पदार्थ नियंत्रण

23. मादक पदार्थों के निषेध तथा विक्रय/उपभोग पर प्रतिबंध/विनियमन:-

(1) अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों का निषेध.-

(क) राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने पर, ग्राम सभा अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर इसे लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगी।

(ख) ग्राम सभा उक्त निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए संबंधित व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड लगा सकेगी जो रूपये 1000/- से अधिक नहीं होगा।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में शराब/भांग के विक्रय का प्रतिषेध और विनियमन- ग्राम सभा अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर.-

(क) देशी/विदेशी शराब की नवीन दुकान खोलने का प्रस्ताव विहित अधिकारी से प्राप्त होने पर इसके 45 दिन की कालावधि के भीतर नई दुकान खोलने की अनुमति दे सकेगी। यदि ग्राम सभा 45 दिन के भीतर सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती है तो यह माना जाएगा कि ग्राम सभा की इस पर सहमति नहीं है तथा दुकान नहीं खोली जाएगी।

(ख) ग्राम के क्षेत्र के अंदर संचालित शराब/भांग दुकान के स्थल परिवर्तन की अनुशंसा कर सकेगी जिस पर राज्य शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी;

संयुक्त संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल